**(ALL BATCHES)**

**DATE: 17.07.2018** **MAXIMUM MARKS: 100** **TIMING: 3¼Hours**

**PAPER 2 :LAW**

**Answer to questions are to be given only in English except in the case of candidates who have opted for Hindi Medium. If a candidate who has not opted for Hindi Medium. His/her answer in Hindi will not be valued.**

**Question No. 1 is compulsory.**

**Candidates are also required to answer any Four questions from the remaining Five Questions.**

**In case, any candidate answers extra question(s)/sub-question(s) over and above the required number, then only the requisite number of questions first answered in the answer book shall be valued and subsequent extra question(s) answered shall be ignored.**

**Wherever necessary, suitable assumptions may be made and disclosed by way of note.**

---

**Answer 1:**

(a) प्रश्न में पूछी गई समस्या भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 की धारा 160 व 161 के प्रावधानों पर आधारित है। फलस्वरूप निक्षेपी का कर्तव्य है कि वह निक्षेप किये गये माल को निक्षेपकर्ता को वापस कर दे अन्यथा उसके निर्देशानुसार उसका निपटारा बिना मांग के तथा जैसे ही उनका समय बीत गया है अथवा उद्देश्य समाप्त हो गया है जिसके लिए माल निक्षेप किया गया था। **2M**

धारा 161 के अनुसार यदि निक्षेपी की भूल के कारण माल वापस सुपुर्द अथवा उसका निपटारा नहीं किया जाता है, तो निक्षेपी निक्षेपक को उस समय के बाद होने वाली हानि के लिए दायी होगा चाहे उसने आवश्यकता से अधिक माल की देखभाल या सुरक्षा क्यों न की हो। **2M**

इसलिए उपर्युक्त प्रावधानों को दिये गये मामले में लागू करने से महेश दायी है। यद्यपि वह असावधान नहीं था, तथापि उसके द्वारा कार उचित समय में वापस न करने के कारण। [शॉ एण्ड कं. बनाम सिम्मन एण्ड सन्स] **2M**

(b) रचनात्मक सूचना सिद्धान्त (Doctrine of Constructive Notice)–कम्पनी पंजीकार के द्वारा जब कम्पनी के पार्षद सीमानियम तथा अन्तर्नियम दाखिल कर दिये जाते हैं और वह दस्तावेज पंजीकृत कर लिए जाते हैं तो वह व्यक्ति जो उस कम्पनी से कोई व्यवहार करता है तो ऐसा माना जाता है। कि उसे कम्पनी के सीमानियमों तथा अन्तर्नियमों की पूरी जानकारी है (टी. आर. प्रैट (बोम्बे) लि. बनाम ई. डी सासून एण्ड कं. लि.) ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि कम्पनी द्वारा पंजीकृत करवाये गये दस्तावेज सार्वजनिक दस्तावेज होते हैं, इसलिए यदि कोई व्यक्ति किसी कम्पनी के साथ कोई व्यवहार करता है तो उसे यह ज्ञान होना चाहिए कि जो व्यवहार वह कर रहा है वह कम्पनी के पंजीकृत दस्तावेजों के प्रावधानों से मेल खाते हैं और उन दस्तावेजों से बेमेल नहीं है या कोई ऐसा व्यवहार कम्पनी के साथ करता है जोकि शक्ति बाह्य है और यदि वह ऐसा करता है तो वह ऐसा केवल अपने जोखिम पर करता है। **2M**

रचनात्मक सूचना सिद्धान्त सकारात्मक नहीं होता बल्कि नकारात्मक होता है जैसे कि ऐसटोपल्स प्रतिरोधक होता है और उस प्रतिरोध का भाग होता है। वह केवल उस व्यक्ति के विरुद्ध होता है जो उस कम्पनी के साथ कोई व्यवहार करता है, लेकिन यह सिद्धान्त कम्पनी के स्वयं के विरुद्ध नहीं होता है। इस नियम के कारण व्यवहार करने वाला व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि कम्पनी के संविधान का कोई विशेष कृत्य या कम्पनी द्वारा प्रदत्त शक्ति कम्पनी के लिए शक्ति बाध्य है। **2M**

कम्पनी के पार्षद सीमानियम तथा अन्तर्नियमों के रचनात्मक सूचना सिद्धान्त की एक सीमा है जो बाहरी व्यक्ति कम्पनी के साथ व्यवहार करते हैं, उन सभी व्यक्तियों को यह अधिकार है कि वह यह मान लें कि जहाँ तक कम्पनी की आन्तरिक कार्यवाहियाँ हैं वह नियमित रूप से चलाई जाती हैं और निर्धारित नियमों के अनुसार चलायी जाती हैं। वह इस बात के लिए बाध्य है कि वह कम्पनी के पूँजीकृत दस्तावेजों को भली–भाँति पढ़ लेवें और ध्यान रखे कि जो व्यवहार कम्पनी के साथ कर रहा है, वह कम्पनी नियमों से बेमेल नहीं है और कम्पनी के नियमों के अनुरूप है। वह इससे अधिक करने के लिए बाध्य नहीं होता है। उनको इस बारे में कोई जाँच करने की आवश्यकता नहीं होती कि कम्पनी की आन्तरिक कार्यवाहियाँ कम्पनी के पार्षद सीमानियम तथा अन्तर्नियमों के अनुसार नियमित रूप से चलायी जाती है। यह सीमा जो रचनात्मक सूचना सिद्धान्त द्वारा लगाई जाती है उसे आन्तरिक प्रबन्ध सिद्धान्त के रूप में जाना जाता है। यह इसे नियम कहते हैं ऐसा निर्णय रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम टुरकाण्ड में दिया गया था। इस प्रकार जहाँ पर रचनात्मक सूचना सिद्धान्त कम्पनी की रक्षा बाह्य व्यक्तियों से करता है वहीं पर आन्तरिक प्रबन्ध सिद्धान्त बाहरी व्यक्तियों की रक्षा कम्पनी से करता है। **2M**

(c) **अंशों का आबंटन** (Allotment of Shares) : कम्पनी न्यूनतम अभिदान जो कि प्रविवरण में उल्लिखित है उसका 80% प्राप्त कर चुकी है। इस प्रकार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 39(1) की अवहेलना करते हुए आबंटन किया है धारा 39(1) के अनुसार कम्पनी जनता को प्रतिभूतियों का आबंटन तब तक नहीं करेगी जब तक कि प्रविवरण में उल्लिखित न्यूनतम राशि का अभिदान प्राप्त नहीं हो जाता है। **2M**

धारा 39(3) के अनुसार कम्पनी द्वारा प्राप्त राशि (न्यूनतम अभिदान का 80%) को आवेदक को वापस लौटा दिया जाएगा, उसके पास और कोई विकल्प नहीं है।

इसलिए वर्तमान केस में X का यह अधिकार है कि वह प्रतिभूतियों के आबंटन को मना कर सकते हैं जो कम्पनी द्वारा अवैध रूप से किया गया है। **2M**

(d) किसी विलेख का निपटारा तभी माना जाएगा, जब उसमें नामित पक्ष को पूर्णतया उसके दायित्व से मुक्त कर दिया गया हो। **1M**

इसलिए विलेख के किसी पक्ष का निपटारा होना उस विलेख का निपटारा नहीं होता। **1M**

इसके उपरान्त भी उस विलेख का यथाविधि धारक उस विलेख के अन्य पक्षों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है। जबकि दूसरी और यदि किसी विपत्र या विलेख का पूर्ण भुगतान कर दिया जाता है तो उस विलेख निपटारा हो जाता है, तो उस विलेख में निहित सभी अधिकार समाप्त हो जाते हैं और कोई यथाविधि धारक भी उस विलेख या विपत्र के अंतर्गत किसी राशि की माँग नहीं कर सकता है। **2M**

**Answer 2:**

**(a)** चैक एक विपत्र है, जो कि किसी विशेष के नाम लिखा गया आदेश और जिसका भुगतान तब ही किया जा सकता है, तब वह भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाए और इनके वह चैक भी होते हैं, जिनका इलेक्ट्रॉनिक फटा हुआ रूप तथा इलेक्ट्रॉन रूप में बने चैक भी सम्मिलित होते हैं। **2M**

चैक तथा विपत्र में भिन्नताएँ (Distinction between a cheque and a bill of exchange)

1. चैक केवल बैंक के नाम पर जारी किया जाता है, जबकि विपत्र बैंक के नाम या अन्य किसी व्यक्ति के नाम पर जारी किया जा सकता है।
2. चैक में कोई अतिरिक्त दिन भुगतान के लिए नहीं होते हैं तथा उसका भुगतान प्रस्तुत होने पर तुरन्त करना होता है, जबकि विपत्र में दी गई भुगतान के अतिरिक्त तीन दिन भुगतान करने के लिए दिए हुए होते हैं।
3. चैक में भुगतान न मिलने का नोटिस देना अनिवार्य नहीं होता है, जबकि विपत्र के मामले सामान्यतः भुगतान न प्राप्त होने का नोटिस दिया जाता है।

4. चैक को चैक धारक को माँग करने पर भुगतान करने का आदेश हो सकता है, जबकि विपत्र किसी धारक के नाम नहीं हो सकता है, यदि वह विपत्र माँग पर भुगतान के लिए बनाया गया हो।
5. चैक को भुगतान की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है। चैक को केवल भुगतान लेने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, जबकि विपत्र को भुगतान की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है और विपत्र के विषय यह सुझाव दिया जाता है कि उसे भुगतान प्राप्त करने के लिए स्वीकृत करवा लिया जाए यद्यपि यदि विपत्र के अनुसार ऐसा आवश्यक न भी हो।
6. भारत में चैक पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाता है, जबकि विपत्र पर नियम अनुसार शुल्क देय होता है।
7. एक चैक को रेखांकित किया जा सकता है, जबकि विपत्र को रेखांकित नहीं किया जा सकता है।
8. चैक द्वारा दिया गया भुगतान का आदेश रोका जा सकता है जो कि ग्राहक की मृत्यु होने पर या उसके दिवालिया हो जाने के आधार पर नोटिस देकर किया जाता है, जबकि विपत्र के मामले में ऐसा नहीं होता है।
9. विपत्र को यदि भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो विपत्र जारीकर्ता के उसकी देयता से मुक्त कर दिया जाता है, जबकि चैक यदि देरी से भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो चैक जारीकर्ता को भुगतान या देयता से मुक्त नहीं किया जाता है, जब तक कि चैक जारीकर्ता को उस देरी से कोई नुकसान न उठाना पड़ा हो।

**(1 Mark for each valid point Maximum Mark upto 4 Marks)**

**(b)** प्रश्न में पूछी गई समस्या कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1) के प्रावधानों तथा गैस मीटर कं. लि. बनाम डायाफ्राम एण्ड जनरल लैदर कं. लि. में दिये गये निर्णय पर आधारित है।

धारा 62(1) के अनुसार अंशों द्वारा सीमित एक सार्वजनिक कम्पनी अपने निर्माण के पश्चात् अतिरिक्त अंशों का आबंटन करना चाहती है तो उसके द्वारा ऐसे नये अंशों के निर्गमन का प्रस्ताव वर्तमान अंशधारियों को उन अंशों पर चुकता पूँजी के अनुपात में किया जाएगा। कम्पनी अपने मौजूदा अंशधारकों के वर्ग को नजरअन्दाज नहीं कर सकती और अपने वर्तमान अंशधारियों को उनके अंशों के अनुपात में आबंटन किया जाएगा। **3M**

गैस मीटर लि. बनाम डायाफ्राम एण्ड जनरल लैदर कं. लि. के मामले में तथ्य प्रश्न में प्रस्तुत समस्या के समान थे। कम्पनी के अन्तर्नियमों में व्यवस्था थी कि नए अंश वर्तमान अंशधारियों को प्रस्तुत किये जाएंगे। कम्पनी ने नये अंश गैस कं, जिसके पास नियंत्रक अंश थे, के अलावा, अभी अंशधारियों को प्रस्तावित किये। निर्णय दिया गया कि प्रतिवादी कं, को ऐसा करने से रोका जा सकता है।

दिये गये प्रश्न में उक्त प्रावधानों तथा निर्णय लागू करने पर SV कं. लि. द्वारा VRS कं. लि. को, इस आधार पर कि उसके पास पहले काफी मात्रा में अंश थे, अंश प्रस्तावित न करने का निर्णय वैध नहीं है, क्योंकि यह धारा 62(1) (a) के प्रावधानों के तथा उपर्युक्त विवाद में दिये गये निर्णय के विपरीत है। दूसरे, अंश जारी करने का प्रस्ताव 1 मार्च, 2007 को यानि कम्पनी के निर्माण के 2 वर्ष पश्चात् किया गया है। इसलिए SV कं. लि. का निदेशक मण्डल, VSR कं. लि. को अंश आबंटित करने का निर्णय नहीं कर सकता जब तक कि कम्पनी द्वारा साधारण सभा में विशेष संकल्प द्वारा। इसका अनुमोदन न कर दिया गया हो जैसा कि धारा 81(A) के अनुसार आवश्यक है। **3M**

**(c)** ईजुदेम जेनरीस का नियमः ईजुदेम जेनरीस शब्द का अर्थ है एक ही प्रकार या प्रजातियाँ। बस इस नियम का अर्थ है कि किसी भी कानून में विभिन्न विषयों की व्याख्या की जाती है, विशेष शब्दों के निम्नलिखित सामान्य शब्द उन शब्दों के संदर्भ में लगाए जाते हैं जो उनसे पहले होते हैं। सामान्य शब्दों को उसी प्रकार की चीजों के लिए लागू करने के रूप में लिया जाना चाहिए, जैसा कि पहले वर्णित विशिष्ट शब्दों के रूप में किया जाता है जब तक यह दिखाने के लिए कुछ नहीं होता कि उद्देश्य व्यापक अर्थ का था। इस प्रकार 'ईजुदेम जेनरीस' के नियम का अर्थ है कि जहां विशिष्ट शब्दों का प्रयोग किया जाता है और इन विशिष्ट शब्दों के बाद, कुछ सामान्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है, सामान्य शब्द उनके रंगों को पहले इस्तेमाल किए गए विशेष शब्दों से लेते हैं (उदाहरण के लिए) जहां एक अधिनियम ने कुत्तों, बिल्लियां, गायों, भैंसों और अन्य जानवरों को रखने की अनुमति दी थी,उसी अभिव्यक्ति में अन्य जानवर' में शेरों और बाघों जैसे व्यापक जानवर शामिल नहीं होंगे, लेकिन इसका अर्थ केवल पालतू जानवरों जैसे घोड़े इत्यादि ही होगा। **2M**

हालांकि, ऐसे कुछ मामले/परिस्थितियां हैं जिन पर विधि की व्याख्या में यह नियम लागू नहीं किया जा सकता है। ईजुदेम जेनरीसर का सामान्य सिद्धांत केवल तभी लागू होता है जहां विशिष्ट शब्द सभी एक ही प्रकृति के होते हैं। जब वे विभिन्न श्रेणियों के होते हैं, तो इन विशिष्ट शब्दों के अनुपालित सामान्य शब्दों का अर्थ अप्रभावित रहता है। ये सामान्य शब्द पहले विशिष्ट शब्दों से रंग नहीं लेंगे।
फिर यदि विशेष शब्दों में पूरे जीन (श्रेणी) को निकाला जाता है, तो सामान्य शब्दों को एक बड़े जीन को कवर करने के लिए लगाया जाता है। **1M**

इसके अलावा, न्यायालयों का विवेकाधिकार है कि क्या किसी विशेष मामले में 'ईजुदेम जेनरीस सिद्धांत लागू करे या नहीं। उदाहरण के लिए, समापन में 'न्यायोचित और न्यायसंगत' अनुच्छेद, न्यायालय की सत्ता को पहले पांच स्थितियों से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है जिसमें न्यायालय एक कंपनी को बंद कर सकता है। **1M**

**(d)** भारतीय अनुबन्ध अधिनियम 1872 की धारा 84 के अनुसार प्रधान तथा तीसरे पक्ष के बीच एक अवयस्क भी एजेन्ट नियुक्त किया जा सकता है,लेकिन अवयस्क एजेन्ट को प्रधान के प्रति उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। **1M**

यदि अनुबन्ध के अयोग्य व्यक्ति को एजेन्ट के रूप में नियुक्त किया जाता है तो प्रधान तीसरे पक्ष के प्रतिदायी होगा। **1M**

इस प्रकार दिये गये प्रश्न में D को घंड़ी का अच्छा स्वामित्व प्राप्त होगा। M,A के प्रति अपनी गलती अथवा असावधानी के लिए उत्तरदायी नहीं है। **2M**

**Answer 3:**

**(a)** अंशों का हस्तांकन तथा हस्तान्तरण (Transmission and transfer of shares) – कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 56 के अधीन अंशों का हस्तांकन उस समय होता है जब अंशों का हस्तान्तरण कानून के प्रचलन के कारण होता है; जब पंजीकृत अंशधारी की मृत्यु हो जाती है अथवा वह दिवालिया घोषित हो जाता है। **2M**

| अंशों का हस्तान्तरण | अंशों का हस्तांकन |
|---|---|
| 1. यह स्वैच्छिक रूप से पक्षों द्वारा किया जाता है। | 1. यह कानून के प्रचलन के कारण होता है। उदाहरण के लिए, सदस्य की मृत्यु, दिवालिया होने के कारण। |
| 2. यह प्रतिफल के बदले होता है। | 2. यह प्रतिफल के बदले नहीं होता। |
| 3. हस्तान्तरक को हस्तान्तरण प्रलेख निष्पादित करना होता है। | 3. इसके लिए कोई हस्तान्तरण विलेख निर्धारित नहीं है। |
| 4. हस्तान्तरण पूरा होने जाने पर हस्तान्तरक का दायित्व समाप्त हो जाता है। | 4. अंशों का मूल दायित्व चालू रहता है। |

**(1 Mark for each valid point, Max. Marks 4)**

**(b)** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (8) के तहत, किसी लेखा परीक्षक के कार्यालय में कोई भी आकस्मिक रिक्ति, कंपनी के अलावा किसी अन्य कंपनी के मामले में होगी, जिसका लेखा नियंत्रक और लेखा भारत के परीक्षक–सामान्य द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षक के आधीन है, तीस दिनों के भीतर निदेशक मंडल द्वारा भरी जाएंगी, लेकिन अगर ऐसी आकस्मिक रिक्ति एक लेखा परीक्षक के इस्तीफे के परिणामस्वरूप होती है, तो इस तरह की नियुक्ति कंपनी द्वारा सिफारिश की तीन महीने के भीतर आयोजित एक सामान्य मीटिंग में भी अनुमोदित होगी वह बोर्ड की अगली वार्षिक आम बैठक के समापन तक कार्यालय में पदभार संभालेंगें। **2M**

इसलिए, वर्तमान मामले में, ऑडिटर ने इस्तीफा दे दिया है, इसलिए बनाई गई आकस्मिक रिक्ति को श्री अल्बर्ट की नियुक्ति कर बोर्ड द्वारा भरा जा सकता है। हालांकि, श्री अल्बर्ट की नियुक्ति को कंपनी की एक सामान्य बैठक में साधारण रिजॉल्यूशन के माध्यम से बोर्ड द्वारा अनुमोदित 3 महीने के भीतर बैठक बुलाकर मंजूरी देनी होगी।

श्री अल्बर्ट अगले वार्षिक आम बैठक के समापन तक कार्यालय का कार्यभार संभालने के हकदार होंगे।
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 140 (1) के तहत, धारा 139 के तहत नियुक्त लेखा परीक्षक को अपने पद **2M**

2से कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही कंपनी के विशेष प्रस्ताव से केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, कंपनी के विशेष संकल्प द्वारा निर्धारित तरीके से हटाया जा सकता है :
बशर्ते इस उप–धारा के तहत कोई भी कार्रवाई करने से पहले, संबंधित लेखा परीक्षक को सुनवाई का उचित मौका दिया जाएगा।

इसलिए, कंपनियों के अधिनियम (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) 2014 के नियम 7 के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 140 (1) के संदर्भ में, कार्यकाल पूरा होने से पहले एक लेखा परीक्षक को हटाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए। **2M**

a. लेखा परीक्षक को हटाने के लिए केंद्र सरकार को फॉर्म एडीटी –2 में आवेदन और कंपनी (पंजीकरण कार्यालय और शुल्क) नियम, 2014 के तहत इस उद्देश्य हेतु दिए गए शुल्क के साथ किया जाएगा।।
b. बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव के तीस दिनों के भीतर आवेदन केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
c. विशेष प्रस्ताव पारित करने के लिए केंद्र सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने के साठ दिनों के भीतर कंपनी सामान्य बैठक आयोजित करेगी।

**(c)** **{वित्त वर्ष**से आशय है ऐसा वर्ष जो 1 अप्रैल से शुरू होता है**(2M)}** और **{**अगली 31 मार्च को समाप्त होता है।**(2M)}**

**(d)** पुष्टिकरण द्वारा एजेन्सी (Agency by Ratification)– एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की ओर से बिना उसकी जानकारी के कार्य कर सकता है। **1M**

बाद में ऐसा व्यक्ति उस कार्य को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। यदि वह इस कार्य को स्वीकार कर लेता है तो इसे पुष्टिकरण द्वारा जेन्सी कहेंगे तथा यह उन पक्षों को पहली जैसी स्थिति में पहुँचा देगा। मानो कि एजेन्ट के पास क्या करने के लिए पहले से ही अधिकार प्राप्त था। इसी प्रकार से यदि एजेन्ट अपने अधिकार से बढकर कार्य करता है तो प्रधान एजेन्ट के अनधिकृत कार्य की पुष्टि कर सकता है। **3M**

**Answer 4:**

**(a)** प्राक्सी लिखित में बनाया गया एक विलेख होता है, जो कि किसी अंशधारक द्वारा बनाया जाता है, जिसके माध्यम से वह अंशधारक किसी अन्य व्यक्ति को उसके स्थान पर कम्पनी की मीटिंग में उपस्थित होने के लिए तथा उसके लिए तथा उसके वास्ते उसकी अनुपस्थिति में वोट डालेगा। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(1) के अनुसार वह प्रत्येक अंशधारक जिसे यह अधिकार प्राप्त है कि वह कम्पनी की मीटिंग में उपस्थित होने का तथा वोट डाले तो उस अंशधारक को यह वैधानिक अधिकार प्राप्त होता है कि वह अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को प्रॉक्सी नियुक्त कर दे ताकि वह प्रॉक्सी कम्पनी की मीटिंग में उसका प्रतिनिधित्व करे तथाउसके लिए तथा उसके वास्ते वोट डाले और यह भी आवश्यक नहीं होता कि उसके द्वारा नियुक्त प्रॉक्सी व्यक्ति कम्पनी का सदस्य हो। इससे आगे यदि कम्पनी के अन्तर्नियमों में ऐसाकोई प्रावधान है कि प्रॉक्सी विलेख की कम्पनी के पास 48 घंटे से अधिक अवधि पहले जमा करवाए, तो इसका अभिप्राय यह माना जाएगा कि प्रॉक्सी विलेख की मीटिंग से 48 घंटे पूर्व जमा करवाना होगा। कम्पनी के सदस्य को यह अधिकार प्राप्त है कि वह प्रॉक्सी को प्रदान किए अधिकार को निरस्त कर देखें और प्रॉक्सी के वोट देने से पूर्व ही अपना वोट डाल देवें पर यदि प्रॉक्सी सदस्य से पहले वोट डाल देती है, तो उसके प्रदत्त अधिकार को निरस्त नहीं किया जा सकता है। **2M**

जहाँ पर सदस्य द्वारा प्रॉक्सी के दी विलेख एक ही मीटिंग और एक ही वोट के लिए दाखिल उनकी जमा करने की समय अवधि समाप्त होने के पूर्व जमा करवाए जाते हैं।
वह प्रॉक्सीज जमा कराने के समय पर दूसरी होगी को गिना जाएगा पर जहाँ पर एक को पहले जमा करवाया जाता है और दूसरी को प्रॉक्सी जमा करवाने की तिथि और समय के बाद में जमाकरवाया जाता है, तो केवल पहले जमा करवाई गई प्रॉक्सी को ही गिना जाएगा। **2M**

इस प्रकार, सदस्य ए के मामले में प्रॉक्सी क्यू (पर प्रॉक्सी पी को नहीं) उस सदस्य के वास्ते वोट डालने की आज्ञा दी जाएगी। **1M**

लेकिन सदस्य बी के मामले में, प्रॉक्सी आर (और प्रॉक्सी एस नहीं) को बी की वास्ते वोट डालने की आज्ञा दी जाएगी, क्योंकि वह प्रॉक्सी जिसके द्वारा एस को अधिकृत किया गया था को मीटिंग होने के 48 घंटे से कम समय पूर्व जमा करवाया गया था। **1M**

**(b)** कम्पनी अधिनियम, 2013 की 123 (1) के पहले प्रावधान में यह बताया गया है कि किसी भी वित्तीयवर्ष में किसी भी लाभांश की घोषणा से पहले, कम्पनी उस वित्तीय वर्ष के लिए अपने लाभ के इस तरह के प्रतिशत को हस्तान्तरित कर सकती है, क्योंकि इसे उचित रूप से आरक्षित भण्डार के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है। **2M**

इसलिए, कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत किसी वित्तीय वर्ष के लिए लाभ अलावा जमा राशि को कम्पनी के विवके पर छोड दिया गया है, जिसका निराकरण उसके निदेशक मण्डल द्वारा किया जाए। **1M**

इसलिए कम्पनी अपने मुनाफे के किसी भी भाग को भण्डार में स्थानान्तरित करने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि यह उचित है। **1M**

**(c)** धारा 100(2) के अनुसार कम्पनी के निदेशकों को असाधारण साधारण सभा बुलानी पड़ेगी जब यह पर्याप्त सदस्यों के द्वारा मांग की जाती है। सदस्यों की संख्या के 40% पर्याप्त सदस्यों की संख्या माने जाते हैं। **2M**

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 100(4) के अनुसार अगर बोर्ड से अपेक्षा की जाती है कि मांग प्राप्त होने से 21 दिन के अन्दर सभा बुलाने की कार्यवाही करे जो कम्पनी के पास मांग जमा करने की तिथि से 45 दिनों के अन्दर आयोजित हो जानी चाहिए। अगर बोर्ड असफल हो जाता है तब मांगकर्ता 3 महीने के अन्दर उस सभा को बुलाकर चला सकते हैं। यह 3 महीने मांग की तारीख से गणना की जाएगी। **1M**

जहाँ सभा के माँगकर्ताओं को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में सभा न करने दी जाए तो माँगकर्ता सभा किसी अन्य स्थान पर कर सकते हैं जैसा कि R चौट्टियार बनाम M चौट्टियारके विवाद में निर्णय दिया गया था।
और ऐसी सभा में पारित संकल्प कम्पनी पर बाध्य होते हैं। **2M**

इस प्रकार प्रश्न में पूछी गई समस्या में उपर्युक्त सभी प्रावधानों का पालन किया गया है। इसलिए उपर्युक्त सभा में प्रबन्ध निदेशक को हटाने के लिए पारित किया गया संकल्प वैध है। **1M**

**(d)** **उदाहरण :** उदाहरण को विधि का एक हिस्सा बनाते हैं और धारा के पाठ्य को समझने में प्रासंगिकता और मूल्य के रूप में माना जाता हैं। **1M**

हालांकि, उदाहरण धारा की भाषा को संशोधित करने को असर नहीं कर सकता है और न ही धारा के दायरे का कम और न ही विस्तरीत कर सकता है। **1M**

**(e)** **स्पष्टीकरण:** कुछ शामिल करने के लिए या उससे कुछ को बाहर करने के लिए स्पष्टीकरण जोड़ा जा सकता है। **1M**

एक स्पष्टीकरण सामान्य रूप से मुख्य धारा में किसी भी अस्पष्टता के साथ मिलकर और स्पष्ट करने के लिए किया पढ़ा जाना चाहिए। जो धारा के दायरे को विस्तारित करने के लिए हो, ऐसा किया जाना चाहिए। **1M**

**Answer 5:**

**(a)** कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, सीएसआर समिति और न्यूनतम योगदान की अवधारणा (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135)।

कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सी.एस.आर): सीएसआर एक अवधारणा को दर्शाती है, जिससे कंपनियां एक बेहतर समाज और अधिक स्वच्छ पर्यावरण में योगदान करने के लिए स्वेच्छा से निर्णय लेती हैं – एक अवधारणा, जिससे कंपनियां अपने हित धारकों की भलाई के लिए अपने व्यवसाय संचालन में सामाजिक और अन्य उपयोगी विषयों को एक स्वैच्छिक तरीके से सामान्य रूप से समाज में एकीकृत करती हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार:

(i) कंपनी जिसे सीएसआर कमेटी का गठन करना आवश्यक है।

(A) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (42) के तहत परिभाषित किसी भी कंपनी के पास अपनी होल्डिंग या सहायक कंपनी और एक विदेशी कंपनी जिसका शाखा कार्यालय या परियोजना कार्यालय भारत में है– जिसका

(1) कुल मूल्य 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, या

(2) 1000 करोड़ रुपए या उससे अधिक का टर्नओवर

(3) 5 करोड़ रुपए या अधिक का शुद्ध लाभ

किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड की एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समितिका गठन होगा। **2M**

(B) सीएसआर समिति सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या कंपनी द्वारा किए गए गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए एक पारदर्शी निगरानी तंत्र की स्थापना करेगी। **½M**

(C) हालांकि, एक विदेशी कंपनी के कुल मूल्य, टर्नओवर या शुद्ध लाभ की गणना कंपनी के बेलेंस–शीट और लाभ और हानि खाते के अनुसार की जाएगी, जैसा कि धारा 381 (1)(ए) और अधिनियम की धारा 198 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया गया है। **½M**

(ii) सीएसआर कमेटी के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों की आवश्यकताओं से अपवर्जित कंपनियां:

Companies excluded from the requirements of the provisions of the Actin relation to CSR Committee:

हर कंपनी, जो लगातार तीन वित्तीय वर्षों में अधिनियम की धारा 135 (1) के अनुसार एक कंपनी बन जाती है – (1) को सीएसआर समिति का गठन करने की आवश्यकता नहीं होगी, और(2) धारा 135 के अनुसार प्रावधानों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। **2M**

(iii) सीएसआर के प्रति कंपनियों का न्यूनतम आवश्यक योगदान ।

Required minimum contribution of the Companies towards CSR:

(A) हर कंपनी का बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, सीएसआर नीति के अनुसरण में, तुरंत वित्तीय वर्ष के पहले तीन तात्कालिक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित कंपनी के औसत शुद्ध मुनाफे का कम से कम दो प्रतिशत खर्च करे। **1M**

**(b)** उस चैक का भुगतान करने वाला बैंक उस दायित्व से मुक्त है यद्यपि उस चैक पर किया अनुमोदन कपटपूर्ण था ऐसा इसलिए है कि बैंक को यह वैधानिक सुरक्षा विशेष रूप से परक्राम्य विलेख अधिनियम, 1881 की धारा 85(1) में प्रदान की गई है। **3M**

दूसरे दृष्टांत में जहाँ पर चैक जारीकर्ता हस्ताक्षर जाली और कपटपूर्ण है। बैंक वास्तविक चैक जारीकर्ता के प्रति उत्तरदायी है यद्यपि उसने वह भुगतान यथाविधि धारक को किया है और बैंक के द्वारा किया गया भुगतान वास्तविक चैक जारीकर्ता के खाते में से नहीं काटा जा सकता है। **2M**

**(c)** नियम का सामंजस्यपूर्ण निर्माण का मतलबः जब एक विधि के शब्दों के अर्थ के बारे में संदेह होता है, तो ये उन अर्थों में समझा जाना चाहिए जिसमें वे कानून के विषय और उस वस्तु केसाथ मिलते हैं जो विधायिका के पास था। जहां एक कानून में दो या अधिक प्रावधान हैं, जोएक–दूसरे के साथ मेल नहीं खा सकते हैं, उन्हें उन सभी को प्रभावित करने के लिए, जहां भी संभव हो, व्याख्या की जानी चाहिए। इसे नियम के सामंजस्यपूर्ण निर्माण के रूप में जाना जाता है। **2M**

यह हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए कि एक विधि पूर्ण रूप से पारित किया गया है और धारामें नहीं है और यह एक सामान्य उद्देश्य और इरादे से अनुप्राणित माना जा सकता है। न्यायालय का कर्तव्य है कि यदि संभव हो तो विधि के सभी हिस्सों को प्रभाव दें। लेकिन इस सामान्य सिद्धांत का मतलब विधायिका के इरादे को आगे बढ़ाने के लिए अदालतों को निर्देशित करना है, इसे अधिभावी (ओवरराइड) करना नहीं है। **1M**

**(d)** गारण्टी कम्पनी से अभिप्राय (Meaning of Guarantee Company)—जब यह प्रस्तावित किया जाता है कि कम्पनी को सीमित दायित्व के साथ पंजीकृत करवाया जाये तो यह विकल्प उपलब्ध होता है कि कम्पनी को या तो अंश पूँजी के आधार पर या गारण्टी के आधार पर पंजीकृत करवाया जाये। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(21) के अनुसार गारण्टी कम्पनी को उस कम्पनी के रूप में ऐसे परिभाषित करती है—"ऐसी कम्पनी जो अपने पार्षद सीमानियम द्वारा कम्पनी के समापन के समय उस राशि को देने के लिए सहमत होते हैं जिसकी वह गारण्टी करते हैं। इस प्रकार गारण्टी कम्पनी के सदस्यों की देयता उनके द्वारा की गयी गारण्टी राशि तक ही सीमित होती है जोकि पार्षद सीमा नियम में दी गयी होती है। उन सदस्यों से उनके द्वारा गारण्टी की राशि से अधिक की मांग नहीं की जा सकती है कम्पनी के अन्तःनियम में उन सदस्यों की संख्या दी जाती है जो उस कम्पनी का पंजीकरण करवाना चाहते हैं। **2M**

गारण्टी कम्पनी तथा अंश पूँजी आधारित कम्पनी में समानताएँ तथा भिन्नताएँ (Similarities and dis-similarities between the Guarantee Company and the Company having share capital) –गारण्टी कम्पनी तथा अंश पूँजी आधारित कम्पनी में जो सामान्य गुण होता है वह है दोनों कम्पनियों का वैधानिक दायित्व तथा सीमित दायित्व का होना अंशपूँजी आधारित कम्पनी के अंशधारक सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा अप्रदत्त अंश पूँजी के भुगतान तक ही सीमित होता है दोनों को यह तथ्य अपने पार्षद सीमा नियम में स्पष्ट रूप से लिखना होता है, लेकिन दोनों कम्पनियों में जो भिन्नता होती है वह मुख्य रूप में निम्न रूप से होती है। **2M**

गारण्टी कम्पनी के सदस्यों को अपनी देयता को केवल उस समय करना होता है जब कम्पनी का विघटन हो रहा हो और उन सदस्यों को उनके द्वारा की गारण्टी राशि का भुगतान उस विघटन के समय देना होता है जोकि उन सदस्यों का दायित्व होता है। **1M**

पर अंश पूँजी आधारित कम्पनी के सदस्यों को कम्पनी के जीवन काल में कभी भी उनके द्वारा अप्रदत्त अंश पूँजी को देने के लिए कहा जा सकता है या ऐसा तब किया जा सकता है जब कम्पनी का विघटन किया जा रहा हो। **1M**

**Answer 6:**

**(a)** धारा 77(1) के अनुसार यह कम्पनी का कर्तव्य है कि भारत के बाहर सृजित ऐसे प्रभारों को, जो उसके भवन, सम्पत्तियों अथवा उपक्रमों पर हैं, चाहे दृश्य अथवा अन्यथा और भारत एवं भारत के बाहर स्थित है, कम्पनी द्वारा हस्ताक्षरित प्रभारों का पंजीयन एवं प्रभार धारक सम्बन्धित प्रपत्र के साथ, यदि है, सृजित सभी प्रकार निर्धारित विधि एवं शुल्क के साथ रजिस्ट्रार को सृजन के 30 दिन के अन्दर पंजीकृत कराने हैं। **2M**

कम्पनी अधिनिमय, 2013 की धारा 78 के अनुसार, यदि कोई कम्पनी 30 दिन के अन्दर प्रभार का पंजीकरण कराने में असफल रहती है। इस अध्याय के अधीन उसके दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं डालते हुए, ऐसा व्यक्ति जिसके पक्ष में प्रभार सृजित किया गया है, उसके द्वारा निर्धारित समय, विधि एवं प्रारूप में प्रभार के पंजीयन के लिए रजिस्ट्रार को प्रभार प्रपत्र के साथ आवेदन कर सकता है, और रजिस्ट्रार ऐसा आवेदन प्राप्त होने के 14 दिन के अन्दर, कम्पनी को नोटिस के उपरान्त, जब तक कि कम्पनी स्वयं प्रभार का पंजीयन नहीं करा ले अथवा प्रभार नहीं कराने का संतोषजनक कारण नहीं प्रकट करे, ऐसे प्रभार का पंजीयन निर्धारित अतिरिक्त शुल्क के साथ स्वीकृत कर सकता है। **3M**

जहाँ प्रभार का पंजीयन उस व्यक्ति के आवेदन पर किया जाता है। जिसके पक्ष में प्रभार सृजित किया गया है, ऐसे व्यक्ति को कम्पनी से ऐसी राशि वसूल करने का अधिकार है जो उसने प्रभार के पंजीयन के लिए किसी शुल्क, अतिरिक्त शुल्क के रूप में रजिस्ट्रार को चुकता की है। **1M**

**(b)** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 128 (1) के अनुसार, हर कंपनी को हर वित्तीय वर्ष के लिए खातों और अन्य प्रासंगिक पुस्तकों और कागजात और वित्तीय विवरण तैयार करने और रखने की आवश्यकता होती है, जो कंपनी के मामलों के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, जिसमें कंपनी की शाखा कार्यालय या कार्यालयों, यदि कोई हो, और पंजीकृत कार्यालय और शाखाओं में होने वाले लेन–देन पर लागू होते हैं और ऐसी पुस्तकों को प्रोद्भवन आधार पर रखा जाएगा जोकि लेखा की डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार हो। **1M**

धारा 128 (1) के प्रावधान में यह भी प्रावधान है कि खाते में मौजूद सभी या कोई भी किताब भारत में अन्य जगहों पर रखी जा सकती हैं जैसा निदेशक मंडल का फैसला हो और जहां ऐसा निर्णय लिया जाता है, कंपनी, उसके सात दिनों के भीतर, रजिस्ट्रार के समक्ष उस अन्य जगह का पूरा पता देकर लिखित रूप में एक नोटिस के साथ फाइल करेगी। कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3 के अनुसार भविष्य में कंपनी खातें या अन्य प्रासंगिक कागजात इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में रख सकती है। **1M**

इसलिए, भारत लिमिटेड बोर्ड ने उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करके मुंबई में अपनी कॉरपोरेट कार्यालय में अपनी पुस्तकें रखने का अधिकार दिया है। **1M**

**(c) अचल सम्पत्ति से आशय है:**–जमीन से सदैव के लिए जुडी हुई वस्तुये – भवन, जमीन आदि। **3M**

**(नोटः**–पेड़ अचल सम्पत्ति है परन्तु लकड़ी नहीं।**)** **2M**

**(d)** कठौर समता अंश का अर्थ (Meaning of Sweat Shares)–कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (88) के तहत स्वैट कठोर समता अंश का अर्थ होता है कि जो समता अंश कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारियों या निर्देशकों को बड़े पर जारी किए जाते हैं या किसी ऐसे किसी प्रतिफल के लिए दिए जाते हैं जोकि नकद रूप में नहीं हैं और उनके द्वारा प्रदान की गयी कोई जानकारी है या कम्पनी को कोई ऐसा अधिकार प्रदान किया है जो कि बौद्धिक सम्पत्ति है का अधिकार है या किसी भी नाम से पुकारे जाने वाले से कम्पनी की मूल्य वृद्धि की है। **2M**

कठोर समता अंश जारी करने से पूर्व पूरी कि जाने वाली शर्त (Conditions to be fulfilled before issue of Equity Shares)–कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 53 (जिसमें अंशों को बड़े पर जारी करने का प्रावधान है) में जो दिया गया है उसके उपरान्त भी कम्पनी निम्न शर्तों को पूरा करके कठोर समता अंश जारी कर सकती हैं।

1. केवल उसी श्रेणी के अंश कठोर समता अंश के रूप में जारी किए जा सकते है जोकि पहले से ही जारी किए जा चुके हैं।
2. कठोर समता अंशों को जारी करने के लिए उसे कम्पनी की आम सभा में पारित एक विशेष घोषणा द्वारा अधीकृत करवा लेना चाहिए।
3. ऐसी घोषणा में जारी किए जाने वाले अंश की संख्या की निश्चित करना चाहिए तथा उसका चालू बाजार भाव यदि उसके लिए कोई प्रतिफल देय है तथा उन निर्देशकों तथा कर्मचारियों की श्रेणी या श्रेणियां जिन्हें ऐसे कठोर समता अंश जारी किए जाएंगे।
4. कठोर समता अंश, कम्पनी द्वारा व्यवसाय आरम्भ करने के एक वर्ष उपरान्त ही जारी किए जा सकते हैं।
5. यदि कम्पनी स्टॉक एक्सचेंज से सूचीबद्ध है तो कठोर समता अंश सेबी द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार जारी किए जा सकते हैं। यदि कम्पनी स्टॉक एक्सचेंज से सूचीबद्ध नहीं है तो कठोर समता अंश केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार जारी किए जाएंगे। कठोर समता अंशों की वही सीमाएं, प्रतिबन्ध तथा अधिकार होते हैं जो कि अन्य समता अंशों के होते हैं। [धारा 54 (2)]।

**(1 Mark for each valid point Max. Marks upto 4 Marks)**

***